



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस  
प्रार्थना पत्र : 170/2024  
निर्णय दिनांक : 27.06.2024

1. अनुज शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा, आयु 35 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी 123 पंचशील एनक्ले, दुर्गापुरा जयपुर।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनारायणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये प्रधानाध्यापक।

बनाम  
सरकार द्वारा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 540/358 वाके ग्राम सालगरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के गलत पता 24, चेतक मार्ग, मोती डूंगरी रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के स्थान पर प्रार्थी के सही व वर्तमान पता 123, पंचशील एनक्लेव, दुर्गापुरा, जयपुर का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र सुना गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 540/358 वाके ग्राम सालगरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के गलत पता 24, चेतक मार्ग, मोती डूंगरी रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के स्थान पर प्रार्थी के सही व वर्तमान पता 123, पंचशील एनक्लेव, दुर्गापुरा, जयपुर का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्तापर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का लोकराज किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की वाके ग्राम सालगरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 540/358 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत पता 24, चेतक मार्ग, मोती डूंगरी रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के स्थान पर प्रार्थी के सही व वर्तमान पता 123, पंचशील एनक्लेव, दुर्गापुरा, जयपुर का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),  
जयपुर